रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253729
CG-DL-E-18042024-253729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946
No. 267] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/382/2017/डीडी/21/2018/डीसी/1433/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन समिति ने **सीए. जॉयदीप रॉय (सदस्यता संख्या 303146), अन्नपूर्णा भवन, पात्रा पारा बालिटिकुरी कलिताला, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) 711113,** को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) & (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, **सीए. जॉयदीप रॉय (सदस्यता संख्या 303146)** के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय आदेश की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट

विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि **सीए. जॉयदीप रॉय (सदस्यता संख्या 303146) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 25(पच्चीस) मास की समेकित अवधि [02 (दो) वर्ष और अतिरिक्त 01 (एक) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./036/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2024

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/G/382/2017/DD/21/2018/DC/1433/2021.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Joydeep Roy (Membership No. 303146), Annapurna Bhawan, Patra Para Balitikuri Kalitala, HOWRAH(West Bengal) 711113,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Joydeep Roy (Membership No. 303146)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand) only to be paid within 90 days of receipt of the Order and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for an additional period of 1(One) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of **CA. Joydeep Roy (Membership No. 303146)**, **shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 25(Twenty Five) months [02(Two) years plus additional 01(one) month] with effect from 16th April, 2024.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./036/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA